VOL- X | ISSUE- VIII | AUGUST | 2023 | PEER REVIEW e-JOURNAL | IMPACT FACTOR 7.367 | ISSN 2349-638x

राजस्थान में ऋण माफी का कृषि साख पर प्रभाव (श्रीगंगानगर जिले के विशेष संदर्भ में)

ओम प्रकाश
शोधार्थी (अर्थषास्त्र)
महाराजा गंगासिंह विष्वविद्यालय, बीकानेर
डॉ. ज्योति कपूर भार्गव
प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष, अर्थषास्त्र विभाग
राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर।

सारांश:—

यह पेपर राजस्थान की "राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, २०१८" व "राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, २०१९" के प्रभाव और निहीतार्थ की जांच करता है। राज्य सरकार की फसली ऋण माफी योजना केवल सहकारी बैंकों पर ही लागु थी। "राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, २०१८" केवल सहकारी बैंक के लघु व सीमांत किसानों का ५०००० /— तक का अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया गया जबकि "राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, २०१९" के अन्तर्गत सहकारी बैंक के लघु, सीमान्त व अन्य किसानों का १५०००० /— तक का मध्यकालीन फसली ऋण माफ किया गया। आंकडें बताते हैं कि जोत के आधार पर बड़े किसानों की संख्या प्रतिषत कम था जबकि उनका ऋण प्रतिषत अधिक था और छोटे किसानों की संख्या प्रतिशत अधिक था जबकि ऋण प्रतिषत कम था। अर्थात छोटे किसानों को कर्जमाफी का लाभ कम व बड़े किसानों को लाभ अधिक हुआ। ऋण माफी की बाद की अवधि में ऋण अधिक लिया गया व अन्य बैंकों की बजाय भारतीय स्टेट बैंक व सहकारी बैंकों के ऋणों में अधिक वृद्धि देखने को मिली।

बीज शब्द:— लघु व सीमान्त कृषक,सहकारी बैंक, फसली ऋण, ।

१.प्रस्तावना:—

भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है जो वर्तमान में कुल जनसंख्या में लगभग ५५ प्रतिशत जनसंख्या को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और आजीविका प्रदान करती है और राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर रहती है और भारतीय कृशक मानसून के साथ साथ अनिष्चित मौसम, नकली बीज, उर्वरक, कीट और बीमारियों जैसी समस्याओं का समय समय पर सामना करता है एवं इन समस्याओं के साथ साथ बढती लागत एवं अनिश्चित बाजार का भी सामना करता है।

भारत में कृषि जोत का आकार प्रतिदिन घटता जा रहा है और कृषक इतने सम्पन्न नहीं है कि बढती लागत के साथ कृषि हेतु पर्याप्त संसाधन स्वयं ही जुटा पाएं इन सब के लिए किसान केवल और केवल ऋण पर आश्रित रहता है। प्राचीन काल से ही कृशकों द्वारा देशी साहुकारों, महाजनों एवं विभिन्न बैकों से ऋण लिया जाना उनकी मजबुरी बनी हुई है इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिकांश कृषक वर्ग के लिए ऋणग्रस्तता एक प्रभावी समस्या बनी हुई है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में ९५ प्रतिशत किसान ऋणग्रस्त हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान वर्ग की हालत कितनी चिंताजनक और दयनीय है। कृषक वर्ग की फसली अनिश्चितताओं के खिलाफ पर्याप्त

और उपयुक्त बीमा कवर के अभाव में किसानों का जोखिम और अधिक बढ जाता है एवं किसानों द्वारा ऋण न चुका पाने की स्थिति में बैंकों द्वारा कागजी भय उत्पन्न किया जाता है जिसके कारण किसान बड़ी संख्या में आत्महत्या का सहारा ले रहे हैं। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन में लिखी पंक्तियां कि " भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है तथा ऋण में पलता बढता है और अपने परिवार के लिए वसीयत में भी ऋण ही छोडकर संसार से चल जाता है।" भारतीय किसानों पर शत प्रतिशत सही साबित होती है।

किसानों की आय बढ़ाने के लिये समन्वित और निरन्तर प्रयासों का अभाव है और किसान जब भी विरोध दर्ज कराता है तो सरकारों द्वारा कर्ज माफी को त्वरित उपाय के रूप में अमल में लाया जाता है। कई राज्य सरकारों ने समय समय पर पुनर्भुगतान के लिए ब्याज पर छूट देकर किसानों पर कर्ज और ब्याज के बोझ को कम करने का प्रयास किया गया। वर्ष २००८–०९ में केन्द्र सरकार द्वारा ७२००० करोड़ रूपये की कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना २००८ ने किसानों के वास्तविक समर्थन की उम्मीद जगाई थी। यह महात्वाकांक्षी योजना भारत के आर्थिक इतिहास में अपने पैमाने में अभूतपूर्व थी। इस योजना में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी ऋण संस्थाओं और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिषा निर्देषों में यथा निर्दिष्ट रूप से लघु और सीमान्त कृषकों एवं अन्य किसानों को दिये गये प्रत्यक्ष कृषि ऋण षामिल किए गये हैं। यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू की गयी थी।

राजस्थान सरकार ने भी अपने चुनावी वादे को पुरा करने एवं किसानों को राहत देने के लिए "राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, २०१८" के तहत वर्ष २०१८–१९ के बजट में सहकारी बैंको के लधु एवं सीमान्त कृषकों की ओर ३० सितम्बर २०१७ को अवधिपार ऋण पर समस्त शास्तियों एवं ब्याज एवं लघु एवं सीमान्त कृषकों के ३० सितम्बर २०१७ तक अल्पकालीन फसली ऋण में से ५०,००० तक के कर्जे की एकबारीय माफ किये जाने के साथ साथ अन्य कृषकों की ओर ३० सितम्बर २०१७ को बकाया अल्पकालीन फसली ऋण, लघु काश्तकारों के लिए निर्धारित जोत सीमा के अनुपात में रूपये ,५०,०००/– तक के कर्जे माफ किये गए। इसी क्रम में अगले ही वर्ष २०१९–२० में भी "राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, २०१९" के तहत सहकारी बैंकों के माध्यम से २००००० /– रू. तक का मध्यकालीन फसली ऋण माफ किया गया।

कुछ बैंकों द्वारा भी गैर निष्पादन सम्पति को कम करने के लिए भी ऋण व ब्याज में छूट दी जा रही है, इसी प्रकार की योजना हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लाई गई जिसमें बैंक द्वारा गैर निष्पादित सम्पति (एनपीए) माने गए खातों पर ब्याज सहित मूल राषि में ९० प्रतिशत की छूट दी गई।

साहित्य की समीक्षा:–

सचिन सिंह, संजय कुमार और गोविन्द सिंह (२०२२) कृषि ऋण माफी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव में बताया कि किसानों की मानसून पर लगातार निर्भरता ने कृषि क्षेत्र में और अधिक तनाव पैदा किया है जिससे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऋण माफी से विलफुल डिफाल्टर्स की संख्या से देश ७रहा है।

नारायण, सुधा एवं मेहरोत्रा, निरूपम (२०१९) "लोन वेवर एण्ड बैंक क्रेडिट: रिफलेक्शन आन द एविडेन्स एण्ड द वे फॉरवर्ड" में बताया कि पिछले एक दशक में किसानों की आर्थिक तंगी कम करने के लिए कृषि ऋण माफी एक नीतिगत साधन बन गई है। सैद्धांतिक तर्क पर सहमति के बावजूद इस तरह की ऋण माफी और इसकी प्रासंगिकता के लिए कई लोगों को डर है कि लंबे समय तक ऋण माफी कृषि क्षेत्र में चुकौति संस्कृति को खराब कर सकती है अर्थात ऋणी ऋण ना चुकाने का प्रयास अधिक करेगें, बैंकों की वित्तीय स्थिति कमजोर होगी।

- भारतीय रिजर्व बैंक ने ६ सितम्बर २०१९ को अपने आंतरिक कार्य दल (Internal Working Group-IWG) *की रिपोर्ट "कृषि साख की समीक्षा" नाम से* साझा की। जिसमें आन्तरिक कार्य दल ने पाया कि ब्याज सबवेंशन स्कीम ने कृषि ऋण में अल्पकालिक फसली ऋणों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। और सरकारों द्वारा २०१५–१७ के बाद से, १० राज्यों ने २.४ लाख करोड़ रूपये के ऋण माफी की घोषणा की है (२०१६–१७ के सकल घरेलु उत्पाद का १.४ प्रतिशत), जो ज्यादातर चुनावों के पास की गई थी। कार्य दल ने रिपोर्ट में सरकारों को ऋण माफी का सहारा लेने से बचने का सुझाव दिया गया है।

सत्य यमीजला एवं विजया किटू मांडा (२०१९) कृषि ऋण छुट का बैंकिग और आर्थिक प्रभाव में बताया कि भारत जैसी विकासशील एव कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था खैती और कृषि ऋण का विस्तार करने के लिए बैंकों पर निर्भर रहती है और किसान चुनाव से कुछ माह पहले ऋण माफी की उम्मीद में जानबुझकर ऋण चुकौती में देरी करते हैं जिससे बैंकों की गैर निष्पादित संपति में वृद्धि हो रही है।

दीपा एस. राज और एडविन प्रभु ए. (२०१८) कृषि ऋण माफी : एक केस स्टडी तमिलनाडु की योजना २०१६ में बताया कि यह ऋण माफी छोटे और सीमान्त किसानों द्वारा लिए गए ऋणों पर लागु थी एवं छुट के बाद की अवधि में ५ एकड़ से ज्यादा भूमि रखने वाले किसानों में लाभार्थी किसानों की तुलना में गैर लाभार्थी किसानों के लिए ऋण प्राप्त करने की संभावना अधिक थी।

राजस्थान में सहकारी बैंक संरचना:–

राजस्थान सहकारी बैंक १४ अक्टूबर १९५३ को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत स्थापित और पंजीकृत किया गया। राजस्थान में षीर्ष स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के वर्तमान में ५ क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिसकी कुल १६ षाखाएं हैं। राजस्थान में जिला स्तर पर ३३ जिलों में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) की कुल ४५० से अधिक शाखाएं विद्यमान है। ४४६७२ गाँवों को कवर करने के लिए ७१०५ पैक्स /लैम्पस स्थापित हैं जो नाबार्ड व भारतीय रिजर्व बैंक से पूनर्वित्त है। अध्ययन में षामिल किए गए श्रीगंगानगर जिले में कुल ८१५ सहकारी समितियां व २ प्राथमिक भूमि विकास बैंक है।

अध्ययन का उद्देश्य:–

१. राजस्थान में फसली ऋण माफी का किसानों की साख पर प्रभाव का अध्ययन करना।
२. राजस्थान में फसली ऋण माफी का किसानों के विभिन्न वर्गो को निहितार्थ लाभ का अध्ययन करना।

ऋण माफी क्या है?

कृषि ऋण या तो फसल ऋण होते हैं या इनपुट या कृषि उपकरण खरीदने के लिए बैंकों से लिए गए निवेश ऋण होते हैं। जब खराब मानसून या प्राकृतिक आपदा आती है तो किसान अपना ऋण चुकाने में सक्षम नही हो पाता है इसलिए केन्द्र या राज्य सरकार किसानों की देनदारी अपने ऊपर ले ले और बैंकों को चुका दे।

ज्यादातर ऋणी चुनिंदा या केवल विशेश प्रकार ही होते हैं अर्थात किसानों की विशेश श्रेणियां हो सकती है। जैसे केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष २००८ में २ हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों के समस्त फसल एवं निवेश ऋण पुरी तरह से माफ कर दिये गए और अन्य किसानों का केवल २५ प्रतिशत ऋण कम किया गया। इस योजना की कुल लागत ५२२६० करोड़ का अनुमान लगाया गया। इसी प्रकार राजस्थान में वर्श २०१८ में केवल लघु एवं सीमान्त किसानों का ५०००० /– तक अल्पकालीन ऋण माफ किया गया जिसकी कुल लागत ८००० करोड़ व २०१९ में लघु, सीमान्त व

अन्य किसानों का १,५०,०००/— तक का मध्यकालीन ऋण भी माफ किया गया जिसकी कुल लागत १५००० करोड़ का अनुमान लगाया गया है।

षोध प्रविधि:— प्रस्तुत अध्ययन में राजस्थान सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के माध्यम से की गई फसली ऋण माफी २०१८ व २०१९ का किसानों की साख पर पड़ने वाले प्रभावों व सहकारी बैंक के खाता धारकों में ऋण माफी का विभिन्न प्रकार की जोत के किसानों को होने वाले निहितार्थ लाभ का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। अध्ययन करने के लिए द्वितीयक आंकडों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में २०१९ से २०२३ तक की अवधि के आंकडें षामिल किए गए हैं। प्रस्तुत आंकडें केन्द्रीय सहकारी बैंक, श्रीगंगानगर की ऋण माफी का ब्यौरा, अग्रणी बैंक श्रीगंगानगर द्वारा जारी वार्शिक साख योजना, समाचार पत्र व वेबसाइट से लिए गए हैं।

आंकडों का विष्लेशण:—

सारणी— १ कृशि जोत व कृशकों की संख्या का तुलनात्मक अध्ययन:—

जोत का प्रकार	जोत का आकार	जोत संख्या	प्रतिशत	क्षेत्रफल (है. में)	प्रतिशत
सीमान्त	१ है. से कम	१८१५२५	४०.७२	९५६७९	१०.८२
लघु	१ है. से २ है.तक	१२२२०९	२७.४२	१७७१४६	२०.०५
अन्य	२ है. से अधिक	१४२०३८	३१.८६	६१०८५३	६९.१३

स्रोत:— अग्रणी बैंक कार्यालय द्वारा जारी वार्शिक साख योजना।

सारणी संख्या १ में जोत की संख्या व कृशकों की संख्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। ४०.७२ प्रतिशत सीमान्त कृशकों के पास केवल १०.८२ प्रतिषत भूमि है, २७.४२ प्रतिशत लघु कृशकों के पास २०.०५ भूमि है व २ हैक्टेयर से अधिक जोत के ३१.८६ प्रतिषत कृशकों के पास ६९.१३ प्रतिषत भूमि है अर्थात छोटी जोत के अधिक कृशकों के पास कम भूमि व बड़ी जोत के कृषकों के पास अधिक भूमि पाई गई है।

सारणी संख्या— २ कृशकों की संख्या व फसली ऋण माफी का तुलनात्मक अध्ययन:—

जोत का प्रकार	जोत प्रतिशत	ऋण माफी लाभांवित कृशक संख्या	प्रतिशत	ऋण माफी राशि (करोड़ में)	प्रतिशत
सीमान्त	४०.७२	७०५०	८.८२	१०.१४	२.२२
लघु	२७.४२	२०८२२	२६.०५	५४.२९	११.८९
अन्य	३१.८६	५२०५६	६५.१३	३९२.१४	८५.८९
योग	१००.००	७९९२८	१००.००	४५६.५७	१००.००

स्रोत:— केन्द्रीय सहकारी बैंक से प्राप्त संमक (ऋण माफी योजना २०१९)

सारणी संख्या २ में जोत के संख्या, ऋण माफी से लाभांवित कृशक व ऋण माफी राषि का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। ४०.७२ प्रतिषत सीमान्त कृशकों में केवल ८.८२ प्रतिषत कृशक ऋण माफी से लाभांवित हुए जिन्हें कुल ऋण माफी का केवल २.२२ प्रतिषत राषि का लाभ मिला। इसी प्रकार २७.४२ प्रतिषत लघु कुशकों ११.८९ प्रतिषत व ३१.८६ प्रतिषत अन्य कृशकों को ८५.८९ प्रतिषत राषि का लाभ मिला अर्थात छोटी जोत के कृशकों को नगण्य व बड़ी

जोत के कृशकों को ही इस ऋण माफी से ज्यादातर लाभ प्राप्त हुआ है।

सारणी संख्या ३– बैंकों में ऋण माफी के बाद वितरित फसली ऋण : लक्ष्यः– करोड़ में

बैंक का नाम	वित्तीय वर्श २०१९–२०			वित्तीय वर्श २०२०–२१			वित्तीय वर्श २०२१–२२		
	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिषत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिषत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिषत
एसबीआई	१०२	१००१.९८	९९.९९	१४४	१५३	१०६.११	१६९	२३०	१३६.२९
गंगानगर के. स. बैंक	१०३.४०	५९.८८	५७.९१	१०३.४३	७१.४३	६८.९३	१०३.२४	८३.२०	८०.६०
अन्य बैंक	३२६.७५	३९३.५१	१२०.४३	४४३.०८	४५३.२३	१०२.७४	५०८.११	४१७.४०	८२.१४
योग	५३२.१५	५५५.३८	१०४.३६	६९१.१३	६७९.९८	९८.३९	७८०.७५	७३१.४८	९३.६९

स्रोतः– अग्रणी बैंक कार्यालय द्वारा जारी वार्शिक साख योजना।

सारणी संख्या ३ में बैंकों द्वारा दिये जाने वाले फसली ऋण का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रसास किया गया है। ऋण माफी के बाद सभी बैंकों द्वारा अधिक राषि के ऋण वितरित किए गए हैं परन्तु कृशकों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक व गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक से अधिक ऋण लिया गया है व अन्य बैंकों से कम ऋण लिया गया है अर्थात भारतीय स्टेट बैंक व गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा प्रत्येक वर्श अपने लक्ष्य से अधिक ऋण का वितरण किया गया है व अन्य बैंकों का लक्ष्य से कम ऋण वितरण किया जा सका।

राजस्थान की ऋण माफी के निहितार्थः–

केन्द्र सरकार के आंकडों के अनुसार राजस्थान के किसानों पर ३१ मार्च २०२१ तक १,२०,९७९ करोड कर्ज बाकी था जबकि राज्य की गहलोत सरकार ने अपने पौने तीन साल के कार्यकाल में महज ८,६७६.५८ करोड़ रूपये का कर्ज माफ कर दिया है। अब प्रत्येक सरकार किसानों की ऋणमाफी की घोषणाएं कर रही है। ऋणमाफी योजनाएं भविष्य में किसानों द्वारा ऋण भुगतान करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। यही कारण है कि जो किसान कर्ज का भुगतान कर सकते हैं वे कर्ज माफी की उम्मीद में इसका भुगतान नही करते हैं। ऋणमाफी योजनाओं के कारण अब प्रत्येक किसान अधिक से अधिक ऋण लेने का इच्छुक हो रहा है व कुछ किसान जरूरत न होने पर भी ऋणमाफी की उम्मीद में ऋण ले सकते हैं जो कि कृषि की उत्पादकता हेतु प्रयोग नही किया जाएगा व ऋण भुगतान नही किया जाएगा और इसका असर उन किसानों पर पड़ता है जिन्हें वास्तव में ऋण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ऋण के माध्यम से कृषि साख में वृद्धि तो हो रही है परन्तु वास्तविक लाभ जरूरतमंद किसान को नही पहुंच रहा है। इसलिए ऋण माफी की जगह सरकार को सहायिकी के माध्यम से कृषि में नव प्रवर्तन हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

संदर्भ सूचीः–

- राजस्थान कृशक ऋण माफी योजना २०१८, सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार आदेश क्रमांक

- राजस्थान कृशक ऋण माफी योजना २०१९, सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार आदेश क्रमांक
- दैनिक भास्कर, राजस्थान, श्रीगंगानगर पृश्ठ संख्या ५ दिनांक २९.७.२०२३
- दैनिक भास्कर, राजस्थान, श्रीगंगानगर पृश्ठ संख्या १५ दिनांक १२.०२.२०२३
- अग्रणी बैंक कार्यालय गंगासिंह चौक, नगर परिशद श्रीगंगानगर (राजस्थान) द्वारा प्रकाषित वार्शिक साख योजना २०२२—२३
- Sachin Singh, Sanjay Kumar & Govind Singh (2022), ÞImpact of agriculture loan and waiver on Indian Economy- A Descripive analysisß IJSSAH/9(4)2022,98-103 Vol.9 No. 4 2022S
- Satya Yamijala and Vijaya Kittu Manda (2019), ÞBanking and Economics implications of farm loan Waiversß International Journal of research ISSN No. 2236-6124 volume viii, issue ii, Feb 2019
- Narayan, Sudha and Mehrotra, Nirupam (2019), ÞLoan Waivers and Bank Credit: Reflections on the Evidence and the Way Forwardß VIKALPA The Journal for Decision Makers 44(4) 198–210, 2019
- Deepa S. Raj and Edwin Prabhu A. (2018) ßAgriculture Loan Waiver: A case study of Tamilnadu^s schemeÞ Reserve Bank of India occasional paper Vol. No. 1&2 2018
- Reserve Bank of India Occasional Papers Vol. 28, No.1, summer 2007
- Rbi, ßReport of the Internal Working Group to Review Agricultural CreditÞ 6, September 2019

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com